


सचिका सं०:-बि० मू० न्या०-०३/२०१३ १५५
दिनांक...२२.०२.२०१९
कार्यालय आदेश

भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, २०१६ के द्वारा की धारा-४३(४) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में भू-सम्पदा अपील अधिकरण (Real Estate Appellate Tribunal) की स्थापना तक अधिनियम के अन्तर्गत विहार भूमि न्यायाधिकरण (The Bihar Land Tribunal) को भू-सम्पदा अपील अधिकरण नामित किया गया है। उक्त आलोक में वादों का निस्तार निम्न अनुदेशों के तहत किया जायेगा:-

- (१) RERA दाखिल अपील के साथ संलग्न ५०००/- (पाँच हजार) रु० का बैंक ड्रॉपट को मूल रूप में पत्र के माध्यम से RERA कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी और उसकी छायाप्रति पूर्ण विवरण के साथ एक अलग पंजी में संधारण किया जायेगा।
- (२) RERA से संबंधित प्रोत्साहक द्वारा शास्त्रित का कम-से-कम ३० प्रतिशत राशि चेक, बैंक ड्रॉपट से या ऑनलाईन बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से RERA के खाते- Bank Name- PUNJAB NATIONAL BANK, R.T. BHAWAN, PUNAICHAK, PATNA-23, A/C No.- 9291000100000181, IFSC Code- PUNBO 296800 में जमा किया जायेगा। तदनुसार उक्त की मूल प्रतियाँ पत्र के माध्यम से RERA कार्यालय को भेज दिया जायेगा।
- (३) उक्त से संबंधित राशि केवल RERA के पक्ष में चेक, बैंक ड्रॉपट से या ऑनलाईन बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा।
- (४) Defect Remove करने की समय-सीमा दो सप्ताह कार्य दिवस के अंदर एवं तत्पश्चात् Redefect Remove करने की समय-सीमा ७ (सात) कार्य दिवस के अंदर होगी।
- (५) Provision of law के अंतर्गत RERA के Appeal को Dismissal यथा न्यायिक सेवा के निबंधक एवं उनके पदस्थापन के रिक्त अवधि में माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जायेगा।


उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।


अवर सचिव,
बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना।

ज्ञापांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग को उनके पत्रांक ११/न०वि०/विविध (Real Estate)-३०/२०१६-३४६/न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक २८/०४/२०१७ के क्रम में एवं विहार भू-संपदा विनियमन प्राधिकरण कार्यालय (RERA), छठा तल्ला, बिहार भवन निर्माण निगम परिसर, हास्पिटल रोड, राजवंशी नगर, पटना-२३ को सूचनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव,
बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना।

ज्ञापांक... 145

दिनांक 22.02.2019

प्रतिलिपि:- फाइलिंग सेक्शन शाखा/स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन शाखा/फाइल क्रिएशन सेक्शन शाखा/डिफेक्ट रिमुभ एवं फ्री शाखा/अभिलेख शाखा को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित । प्राप्त धनराशि लेखा शाखा को उपलब्ध करायी जायेगी ।

2. श्री विजय सिंह, उच्चवर्गीय लिपिक-सह-रोकड़पाल, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना को निदेश है कि उक्त प्रशाखाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक ड्राफ्ट अथवा ऑनलाईन बैंकिंग प्रणाली संबंधी उपलब्ध कराये गये साक्ष्य की मूल प्रति RERA कार्यालय को पत्र के माध्यम से पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध करायेंगे एवं तदनुसार उसकी छायाप्रति रखकर एक अलग पंजी में उसका संधारण करेंगे ।

विजय सिंह
22/2/19

अवर सचिव,

बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना ।